विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096
टेलीफोन.28294719,28294750, फैक्स नं.28291754

****

सं.सीप्ज़ सेज़ःआइए II:एमआइएससीः15-16/13625 दिनांकः 20, अगस्त 2015

परिपत्र - 67/2015-16

सेवा में,
महाराष्ट्र, गोवा राज्य तथा दमन, दीव तथा नगर हवेली
संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी ईओयू

विषयः सीएसटी दावों पर कार्रवाई - कार्यविधि में परिवर्तन के संबंध में।

सीएसटी दावों की प्रतिपूर्ति के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.11(सी) (आई) तथा हैंडबुक ऑफ प्रोसिज़र 2015-2020 के एपैंडिक्स 6 (एच) में निर्धारित दिशा - निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है। यूनिटों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय-सीमा के अंदर सभी प्रकार से पूर्ण अपने दावे प्रस्तुत करना आवश्यक हैः-

दस्तावेजों की सूचीः-

(i) हैंडबुक ऑफ प्रोसिज़र 2015-2020 के एपैंडिक्स 6 (एच) के एनेक्सर-I में आवेदन।

(ii) हैंडबुक ऑफ प्रोसिज़र 2015-2020 के एपैंडिक्स 6 (एच) के एनेक्सर II में सीए/कॉस्ट एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र जिसके साथ निर्धारित फॉर्मेट में सीए/कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, में तिमाही के दौरान यूनिट के अंदर लाए गए माल तथा भुगतान किए गए सीएसटी का ब्यौरा दिया गया हो।

(iii) पार्टनरशिप सीए/कॉस्ट एकाउंटेंट फर्म जिसमें कम से कम एक पूर्ण कालिक पार्टनर एफसीए/एफसीएमए हो के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(iv) आइटी समर्थ सेवाओं (आइटीईएस/ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यूनिटों को छोड़कर 'सी' फॉर्मों के मूल अधपन्ने जिनमें इनवाइस नं., तारीख, इनवाइस मूल्य तथा संदत्त सीएसटी राशि का उल्लेख किया गया हो। यदि 'सी' फॉर्म के मूल अधपन्ने पूर्ववर्ती दावे के साथ पहले ही प्रस्तुत किए गए हों, तो उसकी "स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए जिसके साथ यह हस्ताक्षरित नोट हो कि ________"को तिमाही के दावे के साथ मूल अधपन्ने प्रस्तुत किए गए हैं।

(v) 'सी' फॉर्म के अधपन्ने की स्वप्रमाणित फोटोस्टेट प्रतिलिपि

(vi) सीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि

(vii) वैध एलओपी तथा ग्रीन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि

(viii) कंपनी के लेटर हेड पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित सीएसटी दावे की राशि के उल्लेख के साथ रेवेन्यू टिकट लगा एडवान्स स्टांप रसीद।

(ix) व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जिन्हें यूनिट द्वारा 'सी' फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, की सूचना दी जाए तथा कंपनी के लेटर हेड पर उनके नमूने हस्ताक्षर की तीन प्रतियां भिजवाई जाए।

(x) 100/- रूपए के नॉनजुडिशियल स्टांप पेपर पर निर्धारित फॉर्मेट में विधिवत मोहर लगे तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बॉन्ड।

(xi) यदि "सेल इन ट्राजिट" के अंतर्गत सामग्री प्राप्त की गई हो, तो संगत इनवायसों की प्रतिलिपि

आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए प्रेषण काउंटर पर "काउंटर सहायता" की सुविधा उपलब्ध रहेगी। काउंटर पर अपने सीएसटी दावों के साथ उपर्युक्त पूरे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तथापि यदि कोई यूनिट किसी अंश विशेष जिससे संबंधित उसके सारे दस्तावेज पूरे हों, के लिए सीएसटी रिफंड का दावा करना चाहता है, तो उसे प्रारंभिक आवेदन देते समय ही इस आशय की अवश्य घोषणा करनी चाहिए। ऐसे मामले में, आंशिक दावा यदि कोई स्वीकृत किया जाता है तो कम दावा की राशि स्वीकार नहीं की जाएगी तथा यूनिट के लिए शेष राशि यदि कोई हो, तो के लिए अनुपूरक दावा फाइल करना आवश्यक होगा।

यदि कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो पूर्ण आवेदन का अनुपालन करने पर ही दावा स्वीकार्य होगा तथा यदि किसी कमी के संबंध में सूचना भेजी जाती है तो इसका उत्तर 30 दिनों के अंदर देना होगा, ऐसा न करने पर गुण-दोष के आधार पर मामले में निर्णय लिया जाएगा।

हैंडबुक ऑफ प्रोसिज़र 2015-2020 के पैरा 9.02 के अंतर्गत किए गए उपबंध के अनुसार विलंब कटौती की जाएगी तथा यदि यह दावा दो वर्षों के बाद पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे समयबाधित समझा जाएगा।

जो आवेदन उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं करेंगे, दावा का पंजीकरण किए बिना प्रारंभिक चरण में ही उन्हें लौटा दिया जाए तथा पुनः प्रस्तुत किए जाने पर इन्हें नया दावा समझा जाएगा।

अतएव, सभी यूनिटों के लिए यह आवश्यक है कि वे उपर्युक्त निर्धारित कार्यविधि के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण दावा प्रस्तुत करें।

(वी.पी.शुक्ल)
उप विकास आयुक्त
सीप्ज़ सेज़

अनुलग्नक - क्षतिपूर्ति बान्ड
घोषणा

<u>क्षतिपूर्ति बॉन्ड</u>

<u>(100/- रू. का स्टांप पेपर)</u>

हम, मेसर्स ______________________________ (यूनिट का नाम तथा पता) कच्चे माल, कंपोनेंट्स, कंज्युमेबल्स, पैकिंग सामग्री, पूंजीगत माल, स्पेयर्स, मेटेरियल हैंडलिंग इक्यूपमेंट जिसके लिए ______________ से ____________ अवधि की तिमाही के दौरान भुगतान किया गया, के लिए ___________ रू. (________________) (रूपए मात्र) के केंद्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति का दावा कर रहे हैं।

हमे इसके द्वारा भारत सरकार को क्षतिपूर्ति करने का यह वचन देते हैं कि यदि विकास आयुक्त, सीप्ज़ सेज़ द्वारा किसी ऐसे दावे पर अतिरिक्त भुगतान किया जाता है जिसका बाद में पता चलता है, तो हम विकास आयुक्त, सीप्ज़ सेज़, मुंबई - 400 096 से डिमांड नोटिस प्राप्त करने पर इस राशि को तत्काल वापस कर देंगे।

स्थानः

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षरः

नामः

पदनामः

कार्यालय का पताः

आवास का पताः

ई-मेलः

टेलीफोन नं. (कार्यालय):

मुहर

नए दावे के लिए घोषणा
(पत्र शीर्ष पर)

हम, मेसर्स__________________________ इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि पूर्ण/सही दस्तावेजों के आधार पर दावा स्वीकार किया जाए। अनुपूरक दावा फाइल करने के लिए अपूर्ण दस्तावेज लौटा दिए जाएं ।

स्थानः

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षरः

नामः

पदनामः

कार्यालय का पताः

आवास का पताः

ई-मेलः

टेलीफोन नं.(कार्यालय)

मुहर

अनुपूरक दावे के लिए घोषणा
(पत्र शीर्ष पर)

हम, मेसर्स ______________________________ इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हम पहले स्वीकार किए इनवायसों पर अनुपूरक दावा नहीं कर रहे हैं।

यदि यह घोषणा मिथ्या पाई जाती है, तो हमें एफटी (डीआर) अधिनियम, 1992 के अधीन दंडित किया जाए।

स्थानः

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षरः
नामः
पदनामः
कार्यालय का पताः
आवास का पताः
ई-मेलः
टेलीफोन नं. (कार्यालय):

मुहर